

**बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग**

का0आ0सं0-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास(राजपत्रित)-01/2026-133 पटना, दिनांक-18.09.2026

'कार्यालय आदेश'

राजपत्रित आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पूर्वदेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित राजपत्रित पदाधिकारियों को पटना केन्द्रीय पूल से नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त पर सी-टाईप आवास, गर्दनीबाग आवंटित किया जाता है:-

क्र0	Reg l'd	नाम/पदनाम	कार्यालय/विभाग	आवंटित आवास
1.	BG8655	श्री कमलेश कुमार, सहायक जिला लेखा पदाधिकारी	वित्त विभाग	C3/904, गर्दनीबाग
2.	BG8661	श्रीमती आशना जेया, सहायक जिला लेखा पदाधिकारी	वित्त विभाग	C2/703, गर्दनीबाग
3.	GZ16179	श्री प्रणय कश्यप, सहायक निदेशक	उद्योग विभाग	C8/606, गर्दनीबाग
4.	BG8662	श्री नरेन्द्र कुमार, अवर सचिव	युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	C2/901, गर्दनीबाग
5.	BG8663	श्री विक्रान्त कुमार रंजन, अवर सचिव	खान एवं भूतत्व विभाग	C2/902, गर्दनीबाग
6.	BG8664	मो0 इमामुद्दीन अहमद कादरी, सहायक जिला लेखा पदाधिकारी	वित्त विभाग	C2/903, गर्दनीबाग
7.	BG8666	श्री ऋषि कुमार, अवर सचिव	सूचना प्रावैधिकी विभाग	C2/1002, गर्दनीबाग
8.	BG8674	श्री अनुप रंजन पाण्डेय, अवर सचिव	जल संसाधन विभाग	C2/1003, गर्दनीबाग
9.	BG8667	श्री राकेश कुमार पाण्डेय, प्रशाखा पदाधिकारी	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	C1/1002, गर्दनीबाग
10.	BN8664	श्री विजय कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी	पथ निर्माण विभाग	C1/1003, गर्दनीबाग
11.	BG8668	श्री मुकेश कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	C1/1005, गर्दनीबाग
12.	BN2941	श्री राज नारायण पासवान, प्रशाखा पदाधिकारी	सामान्य प्रशासन विभाग	C1/1006, गर्दनीबाग

- सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे। उक्त अवधि में आवंटी पदाधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
- नये आवंटी पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
- विभागीय आदेश सं0-3473, दिनांक-30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंस चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :-

क्र०	आवास का टाईप	मासिक मानक किराया	मासिक मेंटेनेंस चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	सी- टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹660	₹880	₹1540

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।

5. पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरान्त आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंस चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।
6. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

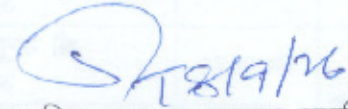
ह०/-

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक:-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-01/2026-8931(भ) पटना, दिनांक:-18.09.2026

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, सभी संबंधित पदाधिकारी/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं०-1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।